प्रेस विज्ञप्ति

08.09.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी केस में रू 3,43,68,376/- की चल/अचल संपत्तियाँ जब्त की हैं। जब्त परिसंपत्तियों में मैसर्स फ्लाइविदमी मोबाइल एलएलपी (निषाद के और हासिफ़ के की एक साझेदारी फर्म) के बैंक खातों में शेष राशि और निषाद के एक सहयोगी अंसारी के की अचल संपत्ति शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच निषाद एवं अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। जांच के दौरान यह पता चला कि निषाद ने निवेशकों से प्रति दिन 2-3% का उच्च रिटर्न देने के बदले लोगों को धोखा देने के लिए अपनी विभिन्न फर्मों जैसे मैसर्स लॉन्ग रिच ग्लोबल, मैसर्स लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मैसर्स मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के माध्यम से मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी के प्रारंभिक कॉइन ऑफर की आड़ में विभिन्न निवेशकों से जमा राशि एकत्र की।

इससे पहले इस निदेशालय ने निषाद के और उसके सहयोगीयो के परिसर में देश भर में छापेमारी की थी जिसमे लगभग 21 लाख रुपये तथा आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद/जब्त हुए थे। मैसर्स स्टॉक्सग्लोबल ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अब्दुल गफूर, निषाद के का एक सहयोगी को **24.03.2022** को गिरफ्तार किया गया था। निषाद के फर्म और सहयोगियों से संबंधित रू **Rs.50.72 करोड़** की चल और अचल संपत्तियां इस निदेशालय द्वारा जब्त की गई थीं और बाद में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए द्वारा पुष्टि की गई । इस निदेशालय ने दिनांक **21.05.2022** को विशेष न्यायालय पीएमएलए, कोझीकोड के समक्ष इस केस मे 6 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है।

आगे की जांच चल रही है।

____